

मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 10200 रु. का अर्थदण्ड (निगम के विभिन्न जोनों में प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही)



कोरबा 03 सितम्बर 2020 – मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा नियमों का उल्लंघन करने पर निगम अमले द्वारा 02 एवं 03 सितम्बर को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 10200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा नियमों का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 02 एवं 03 सितम्बर को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 10200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की सतत निगरानी- नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 08 जोन में स्थित वार्डों में होम क्वारन्टाईन पर रह रहे लोगों की सतत निगरानी दलों के द्वारा की जा रही है, आज भी निगरानी दल के सदस्य होम क्वारन्टाईन लोगों के घरों तक पहुंचे तथा औचक रूप से निरीक्षण किया, इस दौरान होम क्वारन्टाईन पर रह रहे सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाये गए। निगरानी दल के सदस्यों ने उन्हें समझाईश दी कि वे अपने घर के बाहर कदापि न निकले, घर पर ही आराम से रहें। इसके साथ ही दल के सदस्यों ने होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।

नियमों का पालन कराने में सक्रिय रहा निगम का अमला- नगर पालिक निगम कोरबा के मैदानी अमले द्वारा अपने सभी 08 जोन में निरंतर कोविड-19 के प्रोटोकाल व संबंधित नियमों तथा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। आज भी निगम के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में निगम का

अमला कोविड—19 से संबंधित नियमों व जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटा रहा ।